72

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0 एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1256–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 74-/अपील/2015–16

जीतेन्द्र प्रसाद पुत्र बृजपति प्रसाद ब्रा0
ग्राम सोहाई तहसील नईगढ़ी
जिला रीवा (म.प्र.) .....आवेदक

विरूद्ध

1– जयद्रथ प्रसाद पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद दुबे
ग्राम सोहाई तहसील नईगढी जिला रीवा (म.प्र.)
2– चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद दुबे
ग्राम रघुनाथगंज तहसील मनगंवा जिला रीवा (म.प्र.)
3– श्रीमती तारा देवी तिवारी पुत्र स्व. नर्मदा प्रसाद
दुबे पत्नी अशोक तिवारी ग्राम धुचियारी तहसील
मनगंवा जिला रीवा (म.प्र.)
4– श्रीमती संजू मिश्रा पुत्री स्व. नर्मदा प्रसाद दुबे
पत्नी संतोष मिश्रा ग्राम धनावल तहसील कोरांव
जिला इलाहावाद (उ.प्र.)
5– बृजपति प्रसाद पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद दुबे
6– श्रीमती विद्यादेवी पत्नी स्व. नर्मदा प्रसाद दुबे
निवासीगण ग्राम सोहाई तहसील नईगढ़ी जिला रीवा (म.प्र.)
7– श्रीमती नीता पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद दुबे पत्नी
रामगोपाल तिवारी ग्राम दस पेरूआ तहसील
सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.) .....अनावेदकगण

———

(आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक कमांक–1,2,3,4,7 के अधिवक्ता श्री डी.एस.चौहान)
(अनावेदक कमांक 5 एंव 6 सूचना उपरान्त अनुपस्थित)

आदेश

(आज दिनांक 23 – 5 – 2018 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 74/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारॉश यह है कि, आवेदक के द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी कुल किता–9 के 1/5 हिस्से पर वसीयत के आधार पर म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा– 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरण की मांग की गई। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 20–7–2015 को नामान्तरण आवेदन स्वीकार किया गया। इससे दुखित होकर अनावेदक क.– 1,2,3,4, द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज जिला रीवा के न्यायालय में अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–10–2015 को आदेश पारित कर अपील खारिज की गई। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क–1,2,3,4, ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 74/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 से अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अनावेदकगण की अपील स्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकरयह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था, किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नंही किये गये है। इस कारण उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन एवं अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेख पर इस प्रकरण का निराकरण किया जाना उचित होगा।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही कर इश्तहार का प्रकाशन नहीं कराया गया है। प्रकरण में संलग्न साक्ष्य में आवेदक के कथन, वसीयत लेखक, कल्लू यादव एंव वसीयत के गवाह विद्या देवी के कथन कराये गये है जिसमें दिनांक अंकित नहीं है साक्षियों के कथन में दिनांक अंकित न करना संदेहास्पद है। तहसीलदार द्वारा वसीयत की मूल प्रति

एवं खसरा की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं कराई गई है। तहसीलदार द्वारा छायाप्रति के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया है। वसीयतनामा के साक्षी मुनि महेश कोल का भी परीक्षण नहीं कराया गया, मुनि महेश का साक्ष्य प्रकरण में लगा है वह किसी फर्जी व्यक्ति को मुनि महेश बताकर कराया गया। वसीयत ग्रहीता द्वारा जिस वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण चाहा गया है वह भूमि सहखाते की भूमि है सभी सहखातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। वसीयतग्रहीता द्वारा केबल वसीयतकर्ता मृतक गेंदिया को पक्षकार बनाया गया था, और उक्त वसीयत गांव से लगभग 50 कि.मी. दूर जाकर लिखि गई है। आवेदक द्वारा वसीयत को विधिवत प्रमाणित नहीं किया गया है जो वसीयत को संदेहास्पद बनाती है, और ऐसी संदेहास्पद वसीयत के आधार पर तहसीलदार द्वारा किये गये नामान्तरण को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया है। जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया है। उनके द्वारा मुख्य तर्क यह भी दिया गया है कि, आवेदक द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान प्रकरण में हितवद्ध पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया जाता है। और जो हितवद्ध पक्षकार है उनकी जानकारी आवेदक द्वारा न्यायालय के सामने गलत प्रस्तुत की गई है जो कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन के पृष्ठ क्र–2 पर अंकित शिजरा खानदान से स्पष्ट है जिसमें आवेदक द्वारा अपनी मॉ गेंदिया को अपनी पत्नी व अपने भाई जयद्रथ को अपना पुत्र बताया गया है। अतः में उनके द्वारा निगरानी सव्यय निरस्त कर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30–3–2016 उचित होने से यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5– मेरे द्वारा अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, मृतक गेंदिया पति जगदीश प्रसाद के द्वारा वादग्रस्त भूमि के 1/5 हिस्से में आवेदक जीतेन्द्र के नाम वसीयत का निष्पादन कराया था। आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन पेश किया गया जिसमें केवल मृतक गेंदिया को पक्षकार बनाया गया मृतक के वारिसो को पक्षकार नहीं बनाया गया। वादग्रस्त भूमि सहखाते की भूमि है इस कारण सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। तहसीलदार द्वारा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन नहीं कराया गया

है। प्रकरण में संलग्न साक्ष्य आवेदक जीतेन्द्र के कथन,वसीयत लेखक कल्लू यादव एवं वसीयत के गवाह विद्यादेवी के कथन कराये गये जिसमें दिनांक अंकित नहीं है, कि वसीयत लेखक के हस्ताक्षर बनाये गये हैं, वसीयत लेखक कल्लू यादव के कथन का उल्लेख नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि साक्षियों के कथन में दिनांक अंकित न करना सन्देहास्पद है। अभिलेख में संलग्न साक्ष्य से वसीयत को विधिवत सन्देह से परे सिद्व नहीं किया गया है। वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत में लेख किया गया है कि वसीयतकर्ता एवं उनके पुत्रों के मध्य बंटवारा हो चुका है लेकिन बंटवारा कब और किस खातेदार को कितनी कौन सी भूमि हिस्से में प्राप्त हुई यह भी उल्लेख नहीं किया है। साक्षियों के कथन में भी यह उल्लेख नहीं है, तहसीलदार के द्वारा वसीयत की छाया प्रति के आधार पर नामांतरण किया गया है, जबकि तहसीलदार द्वारा वसीयतनामें की प्रमाणित/मूलप्रति के अवलोकन के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिये था। तहसीलदार द्वारा इस ओर ध्यान न देते हुये विधि के विरूद्व आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि तहसीलदार द्वारा वसीयतनामे की छाया प्रति के आधार पर आदेश पारित किया गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का पारित आदेश स्थिर रखने में त्रुटि की गई है। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 74/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.3.16 पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार का त्रुटिपूर्ण आदेश निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की है। इस कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 74/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.3.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर